न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 102/2021
ऑनलाईन नम्बर 2021/290

निर्णय दिनांकः 24.03.2025 25.

ओमप्रकाश पुत्र मालूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. किस्तुरीदेवी पुत्री जीयाराम
2. गोमती पुत्री दुर्गाराम
3. जसवंत पुत्र दुर्गाराम
4. परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम
5. रणजीताराम पुत्र दुर्गाराम
6. रामेश्वरलाल पुत्र जीयाराम
7. शाति पत्नी जीयाराम
8. सावित्री पुत्री दुर्गाराम

जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

9. तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी ।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 6 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. श्री नारायण पंवार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2,3,4 व 8
4. श्री गणेशाराम मेघवाल अप्रार्थी सं. 5 | महेन्द्र सिंह भाम
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 7.34 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 250 में से पूर्वी तरफ सींव के पास पास उतर से दक्षिण सरदारशहर सड़क से फंटकर 14 फुट चौड़ा व 200 फुट लम्बा रास्ता बनाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पूर्वज दुर्गाराम से जरिये इकरारनामा/घोषणा पत्र खरीद कर रखा है। उक्त खरीद शुदा भूमि को रास्ता के रूप में प्रार्थी काम में लेता चला आ रहा है तथा इसी एकमात्र रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन का नहीं है। उक्त इकरारनामा के जरिये प्रार्थी को दी गई रास्ता की भूमि की जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से है। दुर्गाराम की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के आवागमन के रास्ता को बाधित कर रहे है। यही रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है । प्रस्तुत नजरिये नक्शा में वर्णित खरीद शुदा (जो रास्ते के रूप में है) भूमि से ही प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता में प्रार्थी के आवागमन में लगातार रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है जो कि न्यायालय श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनुमति बाबत पेश कर निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की उपधारा ख के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चाहे गये रास्ते का अमल दरामद (गैर मुमकिन रास्ता के रूप में) राजस्व रिकार्ड में कायम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 9 को प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1,6,7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 व 8 के अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया गया कि हम अप्रार्थीगण के पिता दुर्गाराम की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 रोही धीरदेसर पुरोहितान की पूर्वी सींव के पास–पास श्रीडूंगरगढ़ से सरदारशहर सड़क से फंटकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 335, 336 रोही धीरदेसर पुरोहितान को जाता है । हम अप्रार्थीगण के पिता दुर्गाराम ने उक्त रास्ता की भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 23.02.2018 को प्रार्थी ओमप्रकाश को विक्रय किया था, जिसकी हमे शुरू से ही जानकारी रही है। श्रीडूंगरगढ़ से सरदाशहर सड़क मार्ग से फंटकर हम अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 250 की पूर्वी तरफ की सींव–सींव के पास से उतर से दक्षिण 14 फुट चौड़ा व 200 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थी के खेत तक जाता है। यही एकमात्र रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का है। उक्त रास्ते की भूमि बाबत् प्रतिफल राशि हमारे पिता दुर्गाराम ने प्रार्थी ओमप्रकाश से प्राप्त कर ली थी एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थी के उपखण्ड में स्थित जमीन खेत खसरा नम्बर 335 तादादी 0.01 हैक्टेयर (गै. मु.चाह) व खसरा नम्बर 336 तादादी 3.0200 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरदेसर पुरोहितान का खातेदार काश्तकार से व प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि से इन्कारी नहीं है व प्रार्थी के आने–जाने के लिये मौजूदा रास्ते का विस्तार करके रास्ते बनाने के लिये अप्रार्थी संख्या 5 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 में से रास्ता शुरू से लेकर आज दिनांक तक नहीं था व ना ही कभी रहा है। ना ही उक्त खसरा नम्बर 250 में से रास्ता बनाने का अधिकारी है। वो प्रार्थना पत्र कपोल काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो स्वीकार नही खारिज होने योग्य है । प्रार्थी का उक्त अपने खसरा नम्बर की भूमि में एक रास्ता प्रार्थी के गांव धीरदेसर पुरोहितान से आडसर को जाने वाला आम रास्ता जो कटाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत में से होकर जाता है और दूसरा रास्ता प्रार्थी के गांव से ही सीधा ही प्रार्थी के खेत में जाता है। प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मालूराम के खेत में दो रास्ते लगते है, जिसे आवश्यकता का व सुविधा का संतुलन भी उक्त दोनो रास्ता में से है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थी ओमप्रकाश का चलने योग्य नहीं खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 335 तादादी 0.01 हैक्टेयर (गै. मु. चाह) व खसरा नम्बर 336 तादादी 3.0200 हैक्टेयर रोही धीरदेसर पुरोहितान का रास्ता गांव धीरदेसर पुरोहितान से आडसर कटाणी मार्ग से सीधा प्रार्थी के खेत में से होकर जाता है, ना कि अप्रार्थी संख्या 5 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 में से, अप्रार्थी संख्या 5 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 में से प्रार्थी का कभी आवागमन नही रहा, ना ही प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 250 की भूमि से वास्ता है, जो 200 फुट लम्बाई व 14 फुट चौड़ाई से बताया है, वो सरासर झूठा है। प्रार्थी ओमप्रकाश ने एक फर्जी झूठा अप्रार्थी संख्या 5 के पिता की फोटो लगाकर के फर्जी इकरारनामा तैयार कर उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त फर्जी इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें यह भी नहीं पता लग रहा है कि स्टाम्प जिसके नाम खरीद किया है और किसने खरीद किया है। ना ही उक्त इकरारनामा की फोटो प्रति प्रमाणित की हुई है। ना ही अप्रार्थी संख्या 5 के पिताजी द्वारा से खसरा नम्बर 250 की कृषि भूमि का रास्ता बाबत इकरारनामा के बाबत बेचान किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 के पिताजी दुर्गाराम जी की सन् 2017 से बोली बन्द व हाथ पैर भी काम करना बन्द था और बीमार था । अप्रार्थी संख्या 5 के पिताजी दुर्गाराम अपने जीवनकाल में हस्ताक्षर करते रहे है, ना की अंगूठा निशानी । ये प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के आशय से पेश किया है, जो स्वीकार नही, इन्कार किया जाता है और खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ओमप्रकाश को अप्रार्थी संख्या 5 के खसरा नम्बर 250 में से कृषि भूमि को मूंगफली की फसल काश्त के लिये 3 वर्ष तक दिया था जो 1,50,000/– रुपये में तीन वर्ष के लिये दिया था, जो उक्त 3 वर्ष होने के बाद से अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त मूंगफली फसल काश्त जो अप्रार्थी के खेत से प्राप्त हुई है। उससे रुपये

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:36 IST
Reason: SelfAttested

खेत काश्त के नही देने से बचने के लिये ये झूठा अप्रार्थी संख्या 5 के पिताजी की फोटो चुराकर के चोरी कर के कूटरचित दस्तावेज तैयारी करके झूठा प्रार्थना पत्र के साथ इकरारनामा पेश किया है, जो इनका तंग परेशान करने का आशय रहा है, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मालूराम जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर पुरोहितान को 3 वर्षो तक संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 को मूंगफली काश्त पर देने से एवं दो वर्षो से अप्रार्थीगण बरसात कम के अभाव से उक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 की कृषि भूमि का काश्त भी नही करने से अप्रार्थीगण की खेत की सीव काटकर के 25 फुट चौड़ाई से व 20 जरीब लम्बाई से अप्रार्थीगण की खेत की सीव 250 की कृषि भूमि को प्रार्थी ने अपने खेत में मिलाकर दबा लिया है। उक्त सीव काटने बाबत अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ओलमा दिया तो कहा कि हम वापिस उसी स्थान पर सीव को रहने देगे तो अप्रार्थीगण सीधे–साधे स्वभाव के होने से चुप रहे, लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक सीव को पूर्व की खेत सीव को खुर्द–बुर्द कर हमारी कृषि भूमि 25 फुट चौड़ाई से व 20 जरीब लम्बाई से दबाया रखा है। प्रार्थी ने जो रास्ता संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 250 में से मांगा है, वो उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर 250 में से आज तक नहीं रहा है, ना था। खसरा नम्बर 250 के पूर्वी दिशा में से अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में आने–जाने का रास्ता है और तार का गेट भी लगा है, वहां चार पट्टियां भी रोपी हुई है, जो अप्रार्थीगण के धन–पशुओ को बांधकर जब खेत काश्त करते थे, तब की गई, चराई गुड़ाई करते रहे है। अप्रार्थी संख्या 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की उक्त खेत खसरा नम्बर 250 की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि है। प्रार्थी ओमप्रकाश खेत खसरा नम्बर 250 में से पूर्वी तरफ सीव के पास–पास उतर से दक्षिण सरदारशहर सड़क से फंटकर 14 फुट चौड़ा व 200 फुट लम्बाई रास्ता बनाने के लिये जो जरिये इकरारनामा अप्रार्थीगण के पूर्वज दुर्गाराम से खरीद कर बता रहा है, वो इसमें कतई सच्चाई नही है। इकरारनामा फर्जी है, ना ही इकरारनामा की फोटा प्रति प्रमाणित है। प्रार्थी शुरू से दूसरे रास्ता से जो पहले से आता था, उक्त रास्ता से आवागमन करता रहा है। खेत खसरा नम्बर 250 में से प्रार्थी के खेत में कोई रास्ता नही जाता है, ना ही कभी रहा है, ना ही अत्यन्त आवश्यक है, ना ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, ना ही उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर 250 में से आवश्यकता का है। अपने सुविधा के लिये रास्ता का आवेदन पेश कर रखा है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2016(1)RRT 649 बाघ सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू, अजमेर आदि पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2022

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:36 IST
Reason: SelfAttested

व 17.08.2022 में प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 335 व 336 में से कटाणी रास्ता चलता था जो कि खसरा संख्या 334 की उत्तरी तरफ से बन्द है, परन्तु दक्षिणी पश्चिमी कोने से होकर कदीमी मार्ग जाता है। खसरा नंबर 335,336,334 की उत्तरी तरफ से एक कटाणी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु मौके पर बन्द है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 250 में से पूर्वी तरफ से रास्ते की मांग की गई है।

प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 335 व 336 में कटाणी रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु बन्द है एवं एक कदीमी मार्ग (वैकल्पिक मार्ग) भी उपलब्ध है, लेकिन प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा अनुसार रास्ते की मांग की गई। प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। जबकि प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। धारा 251(क) के तहत मांगा गया रास्ता सुविधा का ना होकर अत्यन्त आवश्यकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार नया रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 335,336,334 की उत्तरी तरफ से एक कटाणी रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु मौके पर बन्द है को नियमानुसार खुलवाये जाने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:36 IST
Reason: SelfAttested